# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक: 01.04.2013 व 03.01.2025

रण सख्या: 21/13 व 3/25

सीएमएस नं. 2025/5

## उनवान

रामलल्लू पुत्र पन्नालाल (मृतक) 2 घनश्याम 3 मोहनलाल 4 ओमप्रकाश 5 प्रेमदेव पुत्रान रामलल्लू तेयान ब्राह्मण नि. कस्बा भुसावर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——वादीगण

## बनाम

मदनलाल 2 विशम्भर 3 भगवानसिंह 4 रेवती 5 बिहारी 6 हीरा पुत्रान कजौडी जातियान माली नि. । मन्दिर के पास भुसावर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——प्रतिवादीगण

दावा हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :—

——वादीगण

1 श्री चन्द्रशेखर तिवारी

2 श्री सुरेन्द्र चौधरी

——प्रति.सं. 1 लगा. 6

## निर्णय दिनांक 29/04/2026

वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 2237 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा समें से 03 बिस्वा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भुसावर से रणधीरगढ सडक के लिये अवाप्त जा चुकी है और सडक निर्माण किया जा चुका है। शेष 05 बीघा भूमि जो वाके ग्राम भुसावर में प्रत है, में वादी संख्या 1 निस्फ भाग का तथा शेष निस्फ भाग में वादी संख्या 2 लगायत 5 वाहिस्सा ाबर के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। वर्तमान में वादीगण ने गेहूं की फसल बोई है, मौके पर सरसब्ज खडी है।

वादीगण की उक्त आराजी में होकर जो सडक भुसावर से रणधीरगढ को जा रही है, के तरफ र में वादीगण की आराजी खसरा नंबर 2237 का कुछ भाग शेष रहता है, उसके आगे आराजी सरा नंबर 2239 की भूमि है, जो वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 लगायत 5 की मॉ निस्फ भाग के शेष निस्फ भाग के प्रतिवादीगण सह खातेदार है।

वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 2237 की भूमि से प्रतिवादीगण कोई संबंध व सरोकार कभी भी नहीं रहा है। वादीगण शान्तिपूर्वक बेरोकटोक काश्त करते रहे है।

प्रतिवादीगण लठैत व ताकतवर है, जो वादीगण की आराजी को हडपना चाहते है, जिसके नस्वरूप प्रतिवादीगण ने वादीगण को खुलेआम दिनांक 20.03.2013 को यह धमकी दी कि हम सडक बगल से ही तुम्हारी आराजी में नींव खोदकर पुख्ता निर्माण करेंगें तथा तुम्हारी बोई फसल गेहूं को ट कर देंगें और तुम्हें बेदखल करके छोडेंगें तथा डौल मैड को तोडकर मिसमार कर देंगें और राजी में गढढे खोदकर काबिज काश्त नहीं रहने देंगें, वादीगण कमजोर व इज्जतदार है, जो तिवादीगण का सामना करने में कतई असमर्थ है। यदि प्रतिवादीगण अपनी उपरोक्त धमकी की मंशा में कल हो गये तो वादीगण को अपरमित क्षति होगी और वादीगण बर्बाद हो जावेंगें। इसलिये वादीगण अपने हितों की रक्षार्थ हेतु प्रतिवादीगण के खिलाफ यह दावा लाना लाजिमी हुआ है और वादीगण तिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी पाबन्द करा पाने के अधिकारी है।

वादीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द या जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राजस्थान

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा कराई गई। स की ताईद में प्रतिवादीगण संख्या की ओर से वकालतनामा एवं जवाब दावा श्री पदमेश शर्मा एड. पेश किया गया।

दावा एवं जवाब दावे के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात निर्धारण किये गये।

वादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने पर दावा वादी साक्ष्य के अभाव में दिनांक 12.03.2016 को कार किया गया। जिसकी अपील वादी द्वारा माननीय न्यायालय एस.ओ. एण्ड आर.ए.ए महोदय, ुर में की गई। जिसमें न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 12.03.2016 को अपास्त किया गया तथा तनकीवार तार्किक निर्णय पारित करने बाबत न्यायालय हाजा को भिजवाया गया।

हमने दावा पुनः दर्ज कर निर्देशानुसार पुनः सुनवाई की गई। प्रतिवीदगण की ओर से वकील श्री चौधरी एड. द्वारा वकालतनामा एवं वादी की ओर श्री चन्द्रशेखर तिवारी एड. द्वारा वकालतनामा केया गया।

साक्ष्य वादी के रूप में शपथ पत्र मोहनलाल, ओमप्रकाश तथा जिरह साक्ष्य वादी कराई गई तथा की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी संवत 2065–68, प्रदर्श–2 खसरा मौजा 1916 पेश किये गये।

प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य के रूप में डी.डब्ल्यू.–1 रेवती, शपथ पत्र डी.डब्ल्यू.–2 दुलीचन्द, पत्र डी.डब्ल्यू–3 मुनेश तथा डी.डब्ल्यू–4 संजय द्वारा प्रस्तुत किये गये।

हमने उभय पक्ष अधिवक्तागण को सुना गया तथा पत्रावली का भली भांति अध्ययन किया गया ावार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है–

**तनकी संख्या 1**:– आया वादीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 2237 रकबा 05 बीघा ग्राम भुसावर का कुछ हिस्सा सडक भुसावर से रणधीरगढ की तरफ उत्तर में स्थित है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था, जिसके संबंध में वादीगण अपने दावे के प्रस्तुत शपथ पत्र एवं नकल जमाबंदी संवत 2065–68 तथा प्रदर्श–2 खसरा टीप मौजा 1916 पेश गया एवं शपथ पत्र मोहनलाल एवं सोहनलाल प्रस्तुत किये गये। उक्त अवलोकन से पाया गया खसरा नंबर 2237 वाके ग्रमा भुसावर का कुछ हिस्सा सडक भुसावर से रणधीरगढ की तरफ उत्तर थत है। अतः तनकी संख्या 1 वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

**तनकी संख्या 2**:– आया आराजी खसरा नंबर 2239 वाके ग्राम भुसावर सडक भुसावर से रगढ से लगी हुई है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था, जिसके संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा अपने दावे में उल्लेख किया गया। उनके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य इस संबंध में प्रस्तुत नही किया तथा अपनी बहस के दौरान उन्होंन अवगत कराया कि खसरा नंबर 2237 से कोई लेना देना नहीं किन्तु वादीगण हमारे खसरा नंबर 2239 में खसरा नंबर 2237 की आड़ में निर्माण नहीं करने देना है। जबकि दावा खसरा नंबर 2237 में निर्माण को रोकन बाबत है। अतः तनकी संख्या 2 विरूद्ध दीगण निर्णित की जाती है।

**दादरसी**:– तनकीवार निर्णयानुसार तनकी संख्या 1 वहक वादीगण व तनकी संख्या 2 विरूद्ध दीगण निर्णित होने पर वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण बाबत खसरा नंबर 2237 रकबा 05 बीघा वाके ग्राम भुसावर स्वीकार किया है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के की आराजी खसरा नंबर 2237 में निर्माण आदि नहीं करें तथा प्रतिवादीगण अपनी आराजी खसरा 239 में ही निर्माण करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/04/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)